

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1037 / 2024


दिनांक : 14 .03.2024

श्री विनोद कुमार बागड़ी (RJ00714), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, करौली को दिनांक 29.01.2024 से 03.02.2024 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 27.01.2024 से 28.01.2024 एवं 04.02.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री बागड़ी की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, करौली के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/84/2011/2189

दिनांक : 14 .03.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 1269 दिनांक 06.02.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री विनोद कुमार बागड़ी (RJ00714), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, करौली।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, करौली।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली।


14/3/2024
सहायक रजिस्ट्रार